बामनवास (जिला-स०मा०)

7/10/15	उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली मय/आदेशानुसार दिनांक 17-10-15 को पेश हो।
17/10/15	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०/सायल का प्रा० पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

हुक्म की तामील में जारी हुए

—: आदेश :—

दिनांक—17-10-2019

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 08 सीपीसी रेडविथ धारा 151 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि वादिया बाहर रहती है तथा प्रकरण 15.12.2011 को प्रार्थीया साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाई तथा उसके अधिवक्ता द्वारा अन्य कार्यो में व्यस्त रहने के कारण प्रकरण अदम हाजरी अदम पेरवी में खारिज फरमाया गया था। अधिवक्ता प्रार्थीया ने निवेदन किया कि प्रकरण अचल सम्पत्ति से संबंधित है तथा प्रार्थीया का हित निहित होने के कारण प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाना न्यायहित आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि दिनांक 15.12.2011 को प्रार्थीया के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे तथा साक्ष्य ना होने के कारण प्रकरण को जानबूझकर खारिज करवा दिया गया था तथा साक्ष्य हेतु पर्यापत अवसर भी लिया गया था अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत दिनांक

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला–स०मा०)

10.09.2009 से साक्ष्य वादीया में नियत होकर साक्ष्य प्रार्थीया में दिनांक 03.06.2010 को अन्तिम अवसर तथा 26.08.2010 को न्यायहित में एक और अवसर दिया गया है तथा दिनांक 03.11.2011 को 200/–रूपये कोस्ट पर अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी दिनांक 15.12.2011 को प्रार्थीया व उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। 2009 से 2011 दो वर्ष के अन्दर साक्ष्य पेश नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है पक्षकार प्रकरण को चलाने में रूचि नहीं रखती है तथा प्रकरण को जानबूझकर खारिज करवाया जाना प्रतीत हेाता है। अतः प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 09 सीपीसी रेडविथ धारा 151 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वादं रहे।

उप जिला कलक्टर
हामनवास (जिला–स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Paridwal
Date: 2019.11.21 15:11:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: